



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3438 सन् 2026 और एक अन्य संबद्ध मामला

राम किशोर

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अस्तित्व श्रीवास्तव, पंकज कुमार श्रीवास्तव
उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. प्रमुख और संबद्ध रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अस्तित्व श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. प्रमुख रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि से 26.07.1999 को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वह वर्तमान में विकास खंड पूरनपुर जिला पीलीभीत में तैनात हैं। 18.02.2025 को रिट याचिकाकर्ता को जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत के हस्ताक्षर के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, कि रिट याचिकाकर्ता से 4,59,841.13/- रुपये की राशि की वसूली की उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियम, 1947 की धारा 256(1), 259(1) और (2) के अधीन कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए, रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. प्रमुख रिट याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि पांचवें उत्तरदाता, जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत द्वारा वसूली का प्रस्ताव करते हुए जारी की गई दिनांक 18.02.2025 की नोटिसों को रद्द किया जाए।
4. जहां तक संबंधित रिट याचिका का संबद्ध है, इसे श्री महेश चंद्र पाण्डेय के पुत्र विकास पाण्डेय द्वारा योजित की गई है, जिसे 26.07.1999 को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और जो विकास खंड मरौरी, जिला पीलीभीत में तैनात है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 के नियम 256(1) और 259(1) और (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2,73,491.38/- रुपये की राशि वसूलने की मांग करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत द्वारा 18.02.2025 और 24.02.2025 को उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
5. उक्त नोटिसों पर सवाल उठाते हुए, संबद्ध रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है।
6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि मामले की जड़ तक जाने वाला मूलभूत दोष यह है कि सबसे पहले, उक्त नोटिसों को नोटिस बताया गया है और दिखाया गया है, जबकि वास्तव में वे रिट याचिकाकर्ता पर तय की जाने वाली मौद्रिक देयता की मात्रा निर्धारित करने वाला एक पूर्व-निर्धारित आदेश हैं। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां तक वसूली का संबंध है, यह उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के अधीन एक छोटी सी सजा है और इस प्रकार, इसकी राशि का कोई पूर्व निर्धारण नहीं हो सकता है क्योंकि जवाब प्रस्तुत करने और उस पर विचार करने के बाद ही कोई निर्धारण किया जा सकता है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि उक्त नोटिस समय-सीमा से परे हैं जो नियम 257 (2) परंतुक (3) के अधीन निहित प्रावधानों के अनुसार चार वर्ष से अधिक हैं। **मैसर्स सीमेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 13 स्केल 297, सिविल विविध रिट याचिका संख्या 40396 सन् 2011 (के.के. कंजलिया बनाम भारत संघ) के निर्णय दिनांक 31.01.2013 और मैसर्स बीसीआईटीएस प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर बनाम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी (2022) 07 आईएलआर ए102 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।**

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने प्रस्तुत किया कि चाहे कुछ भी हो यहाँ, केवल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को अपना जवाब प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और जहाँ तक कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित राशि का संबंध है, यह केवल इस तथ्य का संकेत है कि उक्त राशि का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया है और यह रिट याचिकाकर्ता पर है कि वह अपने दावे की पुष्टि करते हुए एवं यह प्रस्तुत करते हुए अपना जवाब दे कि उक्त दुर्विनियोजन नहीं किया गया है और इस प्रकार, उनके अनुसार, उक्त राशि को रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर के अधीन प्रकृति में अनंतिम माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि जहाँ तक समय सीमा से संबंधित मुद्दे का संबंध है, इसे हमेशा कारण बताओ नोटिस के जवाब में उठाया जा सकता है और इस पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाएगा।

8. मैंने प्रतिवाद में दी गई दलीलों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. जाहिर है, वर्तमान कार्यवाही में रिट याचिकाकर्ता को प्रमुख और संबद्ध रिट याचिका में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब देने के लिए कहा गया था कि पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 257 (2), 259 (1) और 259 (2) के अधीन निहित प्रावधानों के आलोक में वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए। तैयार संदर्भ के लिए, प्रमुख रिट याचिका में चुनौती की विषय वस्तु दिनांक 18.02.2025 के कारण बताओ नोटिसों में से एक को यहां उद्धृत किया जा रहा है।

"पत्रांक 6202/7-पंचायत / ऑडिट लि0/2024-25

दिनांक 18.02.2025

श्री रामकिशोर,
तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत-मार,
द्वारा खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड-पूरनपुर।

कारण बताओ नोटिस

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उ०प्र० पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-256 (1) के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत-ईंटगांव के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाये गये दुरुपयोग, अपव्यय अथवा क्षति के सम्बन्ध में अधिभार प्रतिवेदन (वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18) प्रेषित किया गया है (प्रति संलग्न)।

1-नियम 256 (1) के तहत उक्त अधिभार प्रतिवेदन पर अपना स्पष्टीकरण इस अध्याचन के संसूचित होने के दो माह के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे, अथवा 2-नियम 257(2) के अन्तर्गत आपसे उक्त धनराशि के भुगतान की अपेक्षा की जायेगी। नियम 259 (1) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में अधिभारित धनराशि का भुगतान न करने की दशा में नियम-259 (2) के अन्तर्गत अधिभारित धनराशि को मालगुजारी के वकाये के रूप में वसूल किया जायेगा।

क0स0	वार्षिक लेखा प्रतिवेदन संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम	सन्निहित धनराशि
1	170	मार	बिलसण्डा	459841.13

उक्त के कम में आपको कारण बताओं नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्तवत् परिपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त परिपालन आख्या को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें लेखा, पीलीभीत को प्रेषित की जा सके। यदि आपके द्वारा एक पक्ष के अन्दर उक्त परिपालन आख्या अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। तदनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही करते हुए विभागीय / विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(रोहित भारती)

जिला पंचायत राज अधिकारी,
पीलीभीत"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. कारण बताओ नोटिस पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि यद्यपि इसमें एक राशि का उल्लेख किया गया है जिसके लिए दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है और वसूली की मांग की गई है, लेकिन वास्तव में रिट याचिकाकर्ता को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कारण बताने को कहा गया है। कारण बताओ नोटिस में प्रयुक्त भाषा को पूर्व-निर्धारण का कार्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है।

11. इस स्तर पर, श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित राशि का संबंध है, जिसका दुरुपयोग किया गया है, उसे किसी भी मामले में अनंतिम माना जाएगा और रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अधीन और उस पर विचार करने के बाद, ही वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण किया जाएगा। **मैसर्स सीमेंस (उपरोक्त), केके कंजलिया (उपरोक्त) और मैसर्स बीसीआईटीएस प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त)** में निर्धारित विधि व्यवस्था के पस्ताव का कोई विवाद नहीं है कि कारण बताओ नोटिस पहले से ही सोची-समझी योजना के साथ जारी नहीं किया जाना चाहिए, यद्यपि, इस संबंध में कोई पूर्व-निर्धारण नहीं है, अतः उक्त निर्णय यहाँ लागू नहीं होंगे। जहां तक रिट याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह की दी गई दलील का संबंध है कि नोटिस समय वर्जित हैं क्योंकि वे चार वर्ष से अधिक पुराने हैं, तो क्योंकि रिट याचिकाकर्ता ने अपने कथन के अनुसार कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब दे दिया है, इस प्रकार, यह न्यायालय रिट याचिका का निस्तारण करते हुए अधिनिर्णायक प्राधिकारी को यह निर्देश देता है कि वह कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रस्तुत विधिक और तथ्यात्मक दलीलों पर विचार करते हुए, यदि पहले से निर्णय नहीं लिया गया है, तो दो महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही को अंतिम रूप दे। सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

12. इस तरह से उठाए गए तर्क के संबंध में कि वसूली एक छोटी सी सजा है और उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 के अधीन निहित प्रावधान लागू होंगे, यह न्यायालय उक्त पहलू पर विचार नहीं कर सकता है, खासकर जब उस संबंध में नियमावली के साथ पठित पंचायती राज अधिनियम के अधीन निहित प्रावधानों के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

मार्च 13, 2026

राजेश

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"